

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय स्तम्भ-2 में अंकित अधिसूचनाओं को स्तम्भ-3 के अनुरूप संशोधित कर पढ़ा जाए ।

क्र० सं०	अधिसूचना सं० एवं दिनांक	संशोधित शुद्ध विवरण
1	2	3
1	472(3) दिनांक 29.06.2018	अधिसूचना का क्रमांक 33 के स्तम्भ-2 में अंकित चिकित्सा पदाधिकारी का नाम 'डा० सुशील चन्द्र सिन्हा' के स्थान पर 'डा० सुरेश चन्द्र सिन्हा' पढ़ा जाए ।
2	470(3) दिनांक 29.06.2018	अधिसूचना के क्रमांक-4 से 38 तक स्तम्भ 6 में अंकित नवपदस्थापित पदनाम के पहले अपर शब्द जोड़ते हुए 'अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गैर संचारी रोग' पढ़ा जाय ।
3	470(3) दिनांक 29.06.2018	विभागीय अधिसूचना के क्रमांक-4 एवं 20 से डा० विजयेन्द्र कुमार सत्यार्थी का बॉका और लखीसराय में पदस्थापन तथा अधिसूचना सं० 523(3) दिनांक 30.06.2018 से पुनः लखीसराय में डा० सुरेश शरण का पदस्थापना के मद्देनजर विभागीय अधिसूचना सं० 470(3) दिनांक 29.06.2018 के क्रमांक-20 को विलोपित किया जाता है ।
4	469(3) दिनांक 29.06.2018	अधिसूचना के क्रमांक-8 के स्तम्भ-5 में चिकित्सक का अंकित पदनाम 'चिकित्सा पदाधिकारी' के स्थान पर 'उपाधीक्षक' पढ़ा जाय ।
5	471(3) दिनांक 29.06.2018	अधिसूचना के क्रमांक-18 के अधिसूचित चिकित्सक का स्थानान्तरण दिनांक 31.07.2018 के अपराह्न से प्रभावी होगा ताकि जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद पर पूर्व से पदस्थापित चिकित्सक डा० उपेन्द्र तिवारी दिनांक 31.07.2018 को अपने पद से सेवा निवृत्त होंगे ।
6	470(3) दिनांक 29.06.2018	अधिसूचना के क्रमांक-19 के स्तम्भ-5 में अंकित वर्तमान पदनाम के स्थान पर अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग, किशनगंज पढ़ा जाय ।

उक्त अधिसूचनाओं का शेष अंश यथावत रहेंगे ।

ह० / -
(अनिल कुमार)

ज्ञापांक: 3/विकिध-01-37/2018

601 (3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 07 / 8 / 2018

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय, मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, सम्बंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1,2,3,4,7,8,9,10,11 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव